रजिस्ट्री सं0 डी0 एल0—33004/99 REGD.No.D.L.-333004/99

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINAY
भाग—खण्ड 3—उप —खण्ड
प्राधिकार से प्रकाषित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं0. 4 नई दिल्ली, बृहस्पतिवार,जनवरी 4, 2007/पौष 14, 1928
No.4 NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 4, 2007/PAUSA 14, 1928

रेल मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2007

सा.का.नि.4 (अ).— केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 198 के साथ पठित धारा 4 का द्वारा प्रदत षाक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभः—

1. इस नियमों का संक्षिप्त नाम रेल भूमि विकास प्राधिकरण (गठन) नियम, 2007
2. ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाषन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. परिभाषाएंः— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः—

(क) “अधिनियम” से रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) अभिप्रेत हैं,

(ख) “वार्षिक योजना” से किसी वित वर्ष में प्राधिकरण द्वारा निष्पादित किए जाने वाले प्रस्तावित वित परिव्यय सहित कोई कार्य योजना अभिप्रेत हैं,

(ग) “वार्षिक रिर्पोट” से पिछले वित वर्ष के दौरान प्राधिकरण के क्रियाकलापों की रिर्पोट अभिप्रेत हैं,

(घ) ''लेखा–परीक्षा रिपोर्ट'' से प्राधिकरण से संबंधित पिछले वित वर्ष के लिए लेखों और उनके लेखो परीक्षा की रिर्पोट अभिप्रेत है;

(ड.) “प्राधिकरण” से अधिनियम की धारा 4 क के अंतर्गत स्थापित रेल भूमि विकास प्राधिकरण अभिप्रेत हैं;

(च) “बोर्ड ” से प्राधिकरण का कार्यपालक बोर्ड अभिप्रेत हैं;

(छ) “केन्द्रीय सरकार” से रेल मंत्रालय अभिप्रेत हैं;

(ज) “कर्मचारियों का वर्गीकरण” से रेल भूमि विकास प्राधिकरण (गठन) नियम, 2007 के नियम 12 के उप–नियम (1) में विनिर्दिष्ट स्तरों के अनुसार स्तर I से III तक का 1, स्तर IV से VII तक क 2, स्तर VIII के लिए क 3, स्तर IX के समूह ख, स्तर X क से छ तक के लिए समूह ग और स्तर XI क और ख के लिए समूह घ के रूप में समूह वाले प्राधिकरण के सभी स्तर अभीप्रेत हैं;

(झ) “कोर सेल” से प्राधिकरण की स्थापना के लिए सरलीकरणप और ट्रैवॉक्स तैयारी के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित सैल अभिप्रेत हैं;

(ञ) “वित वर्ष” प्रत्येक वर्ष अप्रैल की पहली तारीख से षुरू होने वाला और आगामी वर्ष के मार्च की इकतीस तारीख को समाप्त को समाप्त होने वाला केंन्द्रीय सरकार का वित वर्ष अभिप्रेत हैं;

(ट) “पंचवर्षीय योजना” से अधिनियम की धारा 4 घ के उप–खंड (2) के अंतर्गत प्राधिकरण के कार्यो का निर्वहन करने के लिए आमदनी और व्यय के अनुमानों सहित वास्तविक निवेष, जनषक्ति की आवष्यकता, समय अनुसूची और अन्य संगत निवेष वाली कार्य योजना अभिप्रेत हैं;

(ठ) ''पंचवर्षीय परिपेक्ष योजना'' से 4 घ के उप–खंड (2) के अंतर्गत प्राधिकरण के कार्यो के अनुसार पंचवर्षीय योजना से अगले पांच वर्षो के लिए कोई योजना अभिप्रेत हैं,

(ड) ''निधि'' से रेल भूमि विकास प्राधिकरण निधि अभिप्रेत हैं;

(ढ) ''त्वरित निपटान क्रियाविधि'' से बोर्ड ज्ञापन के माध्यम से रेलवे बोर्ड का निर्णय अभिप्रेत है जो उपयुक्त निदेषालय द्वारा यथा नियत परन्तु प्राधिकरण की करोबार आवष्यकताओं के अनुकूल निष्चित समय सीमा के भीतर उचित संवीक्षा के अध्यधीन हैं,

(ण) ''सदस्य'' से अधिनियम के धारा 4 ख (1) के अधीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई चार सदस्य अभिप्रेत हैं;

(त) ''पहला प्राधिकरण'' से बोर्ड के ऐसे अन्य सदस्यों सहित उपाध्यक्ष, जो प्राधिकरण के गठन के समय केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित किए जाए, अभिप्रेत हैं,

(थ) ''रेल प्रषासन'' से क्षेत्रीय रेल के महाप्रबंधक अभिप्रेत हैं,

अध्याय 2

पहला प्राधिकरण

2. केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम निर्देषित पहला प्राधिकरणः—

पहला प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम निर्देष होगा और इसे नाम निर्देषन द्वारा जो नियुक्त होंगे वे तब तक पद पर रहेंगे जब तक कि चयन द्वारा नियमित पदधारी कार्यभार ग्रहण न कर लें। प्रांरभ मे जब तक प्राधिकरण का औपचारिक रूप में गठन न हो जाए तब तक उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों के पद के लिए तत्वों को, क्रमषः उच्चतर प्रषासनिक ग्रेड और वरिष्ठ प्रषासनिक ग्रेड में, निर्धारित कर्म पदो के रूप में सृजित किया जा सकता है जो प्राधिकरण के आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए उपलब्ध कराई गई निधियों को प्रभार्य होंगे।

अध्याय 3
प्राधिकरण का अवस्थान और कृत्य

3. प्राधिकरण का अवस्थान (1) प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में होगा और प्राधिकरण भारत में अन्य स्थानों पर भी कार्यालय या अभिकरणों की स्थापना कर सकेगा।

(2) प्राधिकरण का एक कानूनी निकाय के रूप में षाष्वत उत्तराधिकार होगा और एक सामान्य मुहर होगी तथा उसके नाम से वाद चलाया जा सकता हैं।

4. प्राधिकरण को भूमि सौंपा जाना और उसके कृत्यः—
केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण की स्थापना के पष्चात् षीघ्रतम अधिनियम की धारा 4 घ की उप धारा (2) के निबंधनों के अनुसार रेल भूमि और आकाषी क्षेत्र के विकास के लिए ऐसे
स्थलों को लिखित रूप में प्राधिकरण को सौंपेगी जिन्हें केन्द्रीय सरकार उचित समझे और प्राधिकरण की प्रस्तावित कार्यकरण निम्नलिखित होगीः—

(क) वाणिज्यिक उपयोग के लिए संभाव्य स्थलों की पहचान या तो केन्द्रीय सरकार द्वारा या प्राधिकरण द्वारा केन्द्रीय सरकार के परामर्ष से की जाएगी। यदि पहचान की गई

भूमि पारिचालनिक प्रयोंजनों या भावी विस्तार के लिए आवष्यक न हो तो स्थल को वाणिज्यिक उपयोग के लिए प्राधिकरण को सौंप दिया जाएगा ।

(ख) प्राधिकरण संभाव्यता आकलन के लिए आवष्यक बाजार सर्वेक्षण करेगा और राजस्व वापसी के दृष्टि से वाणिज्यिक विकास के सर्वोत्तम रीति से तैयार करने के लिए कार्य करेगा और तदनुसार बोली प्राक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। प्रस्तावों को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का निर्णय प्राधिकरण द्वारा स्वयं उपयुक्त स्तर पर लिया जाएगा।

(ग) विकासकर्ता का निष्चय पारदर्षी खुली, निष्पक्ष, और स्पर्द्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से हो सकेगा और वसूल आगम केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएगी।

(घ) धारा 4 घ की उपधारा (2) के खंड (ii) के अधीन प्राधिकरण को सौपें गए स्थल के वाणिज्यिक विकास जिसमें रेलवें स्टेषन भवन और/या यार्डो का निर्माण या पुनर्विकास या उपातरण अतंर्वलित हो, ऐसे विकास के लिए विस्तृत योजना एक समिति द्वारा अनुमोदित करवाया जाएगा जिसमें प्राधिकरण और रेल प्रषासन से एक–एक नोडल अधिकारी षामिल होंगे और केन्द्रीय सरकार ऐसे प्रयोजन के लिए रेल प्रषासनों को एक नोडल अधिकारी नाम निर्दिष्ट करने को कहेगी।

(ड.) अधिनियम की धारा 4 घ की उपधारा (2) के खंड (i) के अंतर्गत योजना तैयार करने के लिए या अधिनियम की धारा 4घ की उपधारा (2) के खंड (ii) के तहत वाणिज्यिक विकास के लिए सौंपे गए किसी स्थल के बारे में केन्द्रीय सरकार से इसके निर्णय पुनर्विलोकन करवा सकेगा और इस संबंध में केन्द्रीय सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

(च) प्राधिकरण किसी स्थल पर रेल भूमि या आकाषीय क्षेत्र का वाणिज्यिक विकास तब तक नही करेगा जब तक उसे अधिनियम की धारा 4घ की उपधारा (2) के खंड (ii) के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से न सौंपा गया हो।

(छ) प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 4 घ उपधारा (2) के खंड (i) के तहत उसे सौंपी गयी रेल भूमि के उपयोग के लिए स्कीम या स्कीमें तैयार करेगा।

(ज) प्राधिकरण अधिनियम की धारा 4 घ की उपधारा (2) के खंड (iv) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा लिखित आदेष से उसे यथा उसे सौंपे गए किसी अन्य कार्य या कृत्यों की निष्पादन करेगा।

5. **प्राधिकरण की योजनाः–** प्राधिकरण की धारा 4 घ की उपधारा (2) के खंड (i) और खंड (ii) के अधीन निष्पादन के लिए जाने वाले प्रस्तावित वाणिज्यिक विकास परियोजनाओं के लिए पंचवर्षीय योजना तैयार कर सकेगा। प्राधिकरण की धारा 4घ की उप धारा (2) के खंड (iii) के अधीन परामर्ष, निर्माण या प्रबंधन सेवाओं और भूमि तथा संपति के विकास से सबंधित उसके द्वारा निष्पादित किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यान्वयन के लिए पंचवर्षीय योजना भी तैयार करनी चाहिए।

7. **बोर्ड की षक्तियां:–** इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण को समुनुदेषित कृत्यों के निर्वहन के संबंध में पूरी वितीय और प्रषासनिक षक्तियां होंगी। चूंकि रेल भूमि विकास प्राधिकरण एक ऐसा प्राधिकरण है जिसे प्रतिस्पर्द्धात्मक व्यावसायिक वातावरण में वाणिज्यिक दिषा में कार्य करना होता है और उसके द्वारा रेल संपति के उपयोग से प्राप्त राजस्व केन्द्रीय सरकार के अन्य विविध राजस्वों के एक हिस्से का निर्माण करेगा, अतः उनकी कार्यप्रणाली को ऐसे नियमों में बॅधना वॉछनीय नहीं होगा जो कि भारतीय रेलवें के समान ही हैं। तथापि, प्राधिकरण सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लागू होने वाले नियमों समग्र ढॉचे के भीतर ही अपने नियमों/विनियमों को बनाएगा।

अध्याय 4
प्राधिकरण बोर्ड

8. प्राधिकरण प्रबंधन:– (1) कार्यकारी बोर्ड द्वारा प्राधिकरण के मामलों और कारबार का साधारण पर्यवेक्षण, निदेषन और प्रबंधन किया जाएगा जो कि ऐसे सभी षक्तियों का प्रयोग करेगा और कृतियों का निवर्हन करेगा तथा जिनके संबंध में अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्रयोग किया जा सकता है या कार्यवाई की जा सकती है।

(2) कार्यकारी बोर्ड में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और चार अन्य सदस्य षामिल होंगे जिनकी नियुक्ति अधिनियम के अधीन की जाएगी। ये चार सदस्य–सदस्य (योजना, अवसंरचना और विकास), सदस्य (योजना रेल यातायात समन्वय), सदस्य वित और सदस्य (संपदा तथा षहरी योजना) होंगे।

(3) बोर्ड का कारवार अधिनियम की धारा 4च के उपबंधों के अधीन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

(4) बोर्ड अपनी बैठक में अन्य मामलों के अलावा केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे सौंपी गई रेल भूमि के उपयोग और व्यवसायिक विकास के लिए स्थलों के लिए स्कीम या स्कीमों जो लागू हो, अनुमोदन, इन्हें अपनाने तथा इनके निष्पादन से जुड़े मामलों पर विचार करेगा तथा प्राधिकरण, यदि आवष्यक समझे तो ऐसी स्कीमों की सिफारिष संबंधी अपनी राय केन्द्रीय सरकार को भेज सकता है और उसके केन्द्रीय सरकार का निर्णय अंतिम है।

(5) कार्यकारी बोर्ड के कोई सदस्य जो कि प्राधिकरण या किसी–प्राधिकरण के सहबद्व द्वारा तैयार की गई या प्रस्तावित किसी संविदा जिसे बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना है, में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षः रूचि रखता हो, ऐसी परिस्थिति उत्पन होने के पष्चात् षीघ्र अपने हितों (रूचि) की प्रकृति के बारे में बोर्ड की बैठक में प्रकट करेगा तथा ऐसे प्रकटन को बोर्ड–बैठक के कार्यवृत में रिकार्ड किया जाएगा और

उसके पष्चात् वह सदस्य, उक्त संविदा के संबंध में बोर्ड द्वारा किए जाने वाले विचार– विमर्ष या बोर्ड द्वारा लिए जाने वाले निर्णय में भाग नहीं लेगा।

(6) बोर्ड समय–समय पर किसी व्यक्ति को सलाहकार या परामर्षदाता के रूप में, यदि आवष्यक समझा जाए, ऐसे निबंधन और षर्तो पर नियुक्त कर सकता है जो केन्द्रीय सरकार के विघमान नियमों के अनुसार विनियमों द्वारा अधिकथित की गई हो,

(7) प्राधिकरण का एक मुख्य सतर्कता अधिकारी होगा जो सीधे उपाध्यक्ष की रिर्पोट करेगा।

(8) बोर्ड, प्राधिकरण के सचिव को नियुक्त करेगा जो प्राधिकरण की सभी विधिक अनुपालनों के लिए उत्तरदायी होगा और सामान्य मोहर का अभिरक्षक होगा। सचिव प्राधिकरण के दिन प्रतिदिन के मामलों की उपाध्यक्ष को सीधा रिर्पोट करेगा।

9. प्राधिकरण की समितियांः– बोर्ड ऐसी समितियां नियुक्त कर सकेगा है जो अधिनियम के अंतगर्त इसकी कर्तव्यों के कुषल निर्वहन और कृत्यों के निर्वाहन के लिए आवष्यक हो।

10. बोर्ड में रिक्त से कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होनाः– बोर्ड का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण विधि मान्य नही समझी जाएगी कि बोर्ड में कोई रिक्त या उसके गठन में कोई त्रुटि है या प्राक्रिया में कोई अनियमितता है।

अध्याय–5
उपाध्यक्ष के कर्तव्य

11. उपाध्यक्ष के कर्तव्यः– (1) उपाध्यक्ष, जो प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा, प्राधिकरण पर साधारण पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा तथा बोर्ड के विनिष्चयों को कार्यान्वित करेगा।

(2) उपाध्यक्ष, अधिनियम के अधनी बनाए गए विनियमों के अनुसार, उन षक्तियों का प्रयोग करेगा जो बोर्ड द्वारा उन्हें प्रत्यायोजित की जाए।

अध्याय–6

संरचना और वेतन

12. स्‍रचना और वेतनः– (1) केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए वेतन और भत्तो के बजट संबंधी उपबंधों के अधीन रहते हुए, उपाबंध–I पर प्रारंभिक तालिका के अनुसार स्तर–1 से स्तर– XI के अंतर्गत क्रमषः उनके वेतन ग्रेडों में निम्नलिखित कर्मचारियों की संख्या होगीः–

स्तर	ग्रुप	पदनाम	प्रारम्भिक संख्या	वेतन ग्रेड (रू.) (सी डी ए वेतनमान)
I	क–1	अध्यक्ष	1	कोई नहीं, पदेन होगा
II		उपाध्यक्ष	1	24050–650–26000
III		सदस्य	4	18400–500–22400
IV	क–2	महाप्रबंधक	3	18400–500–22400
V(क)		उपमहाप्रबंधक	6	14300–400–18300
V(ख)		मुख्य सतर्कता अधिकारी	1	14300–400–18300
VI(क)		वरिष्ठ प्रबंधक	2	12000–375–16500
VI(ख)		प्राधिकरण के सचिव	1	12000–375–16500
VII(क)		प्रबंधक	4	10000–325–15200
VII(ख)		प्रधान निजी सचिव	5	10000–325–15200
VIII(ग)		सहायक विधिक सलाहकार	1	10000–325–15200
VIII(ख)		सहायक प्रबंधक	3	8000–275–13500
VIII(ख)	क 3	लेखा अधिकारी	1	8000–275–13500
IX	ख	वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी	1	7500–250–12000
सहायक कर्मचारी				
X(क)		कार्यालय सहायक	4	6500–200–10500
X(ख)	ग	लेखा सहायक	2	6500–200–10500
X(ग)		निजी सहायक	3	6500–200–10500
X(घ)		नक्षानवीस	2	5500–175–9000
X(ड)		निजी सहायक	8	5500–175–9000
X(च)		उच्च श्रेणी लिपिक	3	4000–100–6000
X(छ)		निम्न श्रेणी लिपिक सह टंकक	6	3050–75–39500–80–4500
XI(क)	घ	चपरासी/संदेषवाहक	10	2550–60–3200–65–4000
XI(ख)		टेलीफोन अटेंडेन्ट सह डाक खलासी (टीएडी के)	8	2550–60–3200–65–4000

3. उप–नियम (1) में दर्षाए गए प्राधिकरण में स्तर IV से XI तक विभिन्न पदों पर कर्मचारियों को लगाने हेतु भारतीय रेलवे से एलीमेंट स्थानातंरित किये जाएंगे। पहले प्राधिकरण के लिए स्तर–II और स्तर–III पदो को क्रमषः उच्चतर प्रषासनिक ग्रेड और वरिष्ठ प्रषासनिक ग्रेड में प्रचालित होगा तदनुसार अपेक्षित एलीमेंट को भारतीय रेल से स्थानातंरित किया जाएगा। बाद में, प्राधिकरण स्तर IV से उच्च पदो की आवष्यकता की गणना करेगा और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव करेगा।

4. प्राधिकरण अपनी भविष्य की कारबार योजनाओं के आधार पर अतिरिक्त जनषक्ति के लिए समय–समय पर प्रस्तावों को केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा और केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 4 (छ) की उप–धारा (1) की षर्तो के अनुसार उस पर विनिष्चय करेगा।

5. अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्राधिकरण अपने कृत्यों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी को नियुक्त कर सकेगा और नियुक्ति की पद्वदि नियत कर सकेगा। प्राधिकरण के ऐसे अन्य अधिकारीयों और कर्मचारियों का वेतनमान और भते तथा सेवा की अन्य षर्ते वे होंगी, जो विनियमों में प्राधिकरण द्वारा उपबंधित की गई है।

6. प्राधिकरण स्तर IV से XI तक के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के चयन और नियुक्ति का विनिष्चय करेगा।

6. प्राधिकरण अधिनियम के अधीन, अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए अपेक्षित न्यूनतम अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ अपने कृत्य करेगा। प्राधिकरण स्तर IV से स्तर XI तक के कर्मचारियों के स्तरों के साथ–साथ अपने कारबार और कुषलता के सिद्वांतों की षर्तो के अनुसार प्रत्येक स्तर की कर्मचारी संख्या की आवधिक रूप से समीक्षा करेगा, परन्तु उपयुक्त उप–नियम (1) में केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या यथावर्णित से अधिक नहीं होगी।

7. प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की वरिष्ठता और प्रोन्नति का अवधारण विनियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।

अध्याय–7

वित और बजट

13. वित, लेखा और लेखा परीक्षा– (1) प्राधिकरण का गठन करने वाले अधिनियम की धारा 4 का के अधीन अधिसूचना के प्रकाषन की तारीख से ही सम्पतियों के संबंध में जिनका प्राधिकरण को विकास करने के लिए कहा गया हैः–

(क) अधिनियम की धारा 4घ के अधीन प्राधिकरण के किन्हीं कृत्यों के प्रयोजन के संबंध में या ऐसी तारीख के तत्काल पहले केन्द्रीय सरकार के लिए उपगत किए गए सभी त्रण, बाध्यताएं और उपगत दायित्व, की गई सभी संविदाए और सभी मांमले और किए जाने वाले

(ख) प्राधिकरण के संबंध में केन्द्रीय सरकार का देय कुल धन ऐसी देय तारीख से तत्काल पहले प्राधिकरण को देय समझा जाएगा।

(ग) प्राधिकरण के संबंध में किसी मामले पर ऐसी तारीख से तत्काल पहले केन्द्रीय सरकार द्वारा या के विरूद्व प्रारंभ अथवा प्रारंभ हो सकने वाली सभी विधिक कार्यवाहियों को प्राधिकरण द्वारा अथवा उसके विरूद्व जारी रखा जाएगा या संस्थित किया जाएगा।

(2) केन्द्रीय सरकार की जिन सम्पतियों, अधिकारों यह दायित्वों को प्राधिकरण को हस्तांतरित किया जाएगा, के संबंध मे यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इस प्रकार के विवाद का विनिष्चय केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा ।

14. केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान और ऋण– (1) केन्द्रीय सरकार इस निमित संसद द्वारा विधि द्वारा बनाए गए सम्यक विनियोग के पष्चात् ऐसी धनराषी देगी, जो प्राधिकरण को उसके कृत्यों का निर्वहन के लिए अपेक्षित है। परन्तु प्राधिकरण की स्थापना के तुरन्त बाद, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित राषी प्राधिकरण की प्रांरम्भिक स्थापना और कृत्यों के उपलब्ध करायेगीः

(क)परिचालन व्यय जिसके अतंर्गत आकस्मिक व्यय भी है, के लिए पंद्रह करोड़ रू0 की प्रारम्भिक आंरभ पूंजी**;**

(ख) **प्रारम्भिक प्रषासनिक और स्थापना व्ययों का पूरा करने के लिए पचहत्तर लाख रू0 की रकम।**

(2) उसके पष्चात्, केन्द्रीय सरकार के वर्तमान व्यवहार के अनुसार, बजट अनुमोदन के आधार पर पारिचालन व्ययों के साथ–साथ, प्रषासनिक और स्थापना, दोनो व्ययों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निधियां उपलब्ध कराई जाएगी। अतिरिक्त निवेष प्राधिकरण द्वारा जुटाई गई निधियों या प्राधिकरण को वार्षिक बजट प्रक्रिया के द्वारा अनुज्ञात, सीमांत (अर्जन का प्रतिषत) में से किया जाएगा।

15. निधिः– एक निधि का गठन किया जाएगा जिसे रेल भूमि विकास प्राधिकरण निधि कहा जाएगा और जिसमें निम्नलिखित को जमा किया जाएगा, जैसेः–

(क) केंन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकरण को दी गई सभी धनराषि जिसके अंतर्गत आरंभिक पूंजी और स्थापना और प्रषासनिक व्ययों पर वार्षिक आवती व्ययों, और इन नियमों के नियम 14 के अनुसार परिचालन व्यय भी है**;**

(ख) प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी फीसें और प्रभार;

(ग) प्राधिकरण द्वारा अपने स्वयं की कंसलटेंसी, निर्माण, प्रबन्धन या अधिनियम की धारा 4 घ की उप धारा (2) के खंड(iii)के अधीन भूमि और सम्पत्ति के संचालन से प्राप्त सभी धनराषियां

(घ) प्राधिकरण द्वारा लिया गया कोई ऋण अथवा दिया गया उधार;

(ड.) इन नियमों के नियम 14 और 19 के अनुसार वार्षिक बजट प्रकिया द्वारा प्राधिकरण को अनुज्ञात कोई सीमान्त;

(च) प्राधिकरण द्वारा प्राप्त कोई अन्य धनराषि।

16. निहित निधि का निधान और उपभोजनः– (1) अधिनियम के अधीन अपने–अपने व्ययों और कृत्यों के दक्षतापूर्व निर्वहन से संबधित व्ययों को करने के लिए निधि प्राधिकरण के पास रहेगी और उसके द्वारा रखी जाएगी और उपभोजन की जाएगी।

(2) प्राधिकरण निधि के संबंध में प्राप्ति और व्यय के वर्गीकरण सहित आंतरिक लेखा और बजट का उपयुक्त कियाविधि बनाएगा।

(3) प्राधिकरण एक पृथक लेखा रखेगा, जिसमें सभी उपार्जन, जिसके अंतगर्त रायल्टी, रियायत फीस, अनुज्ञप्ति फीस और प्राधिकरणों की परियोजनाओं से प्राप्त लाभ भी हैं को जमा किया जाएगा और इसके पष्चात् के विनियमों में अधिकथित प्रकिया के अनुसार उन्हें केन्द्रीय सरकार को पूर्ण रूप से दे दिया जाएगा।

17. प्राधिकरण की उधार लेने की षक्तियांः– (1) प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार की सहमति से या केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे दिए गए किसी सामान्य या विषेष प्राधिकार की षर्तो के अनुसार में, अधिनियम के अधीन इसके सभी या किसी कृत्यों के निर्वहन के लिए किसी भी स्रोत से किसी लिखत द्वारा, जैसा वह उचित समझे, राषि उधार ले सकेगा।

(2) केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण के उधार कार्यकम के लिए कोई गांरटी उपलब्ध नहीं कराएगी या सुविधा पत्र प्रदान नहीं करेगी और प्राधिकरण अपनी परियोजना की व्यवहार्यता के सामर्थ्य पर निधि जुटाएगा और किसी भी प्रभुत्व गांरटी द्वारा बाजार को गुमराह नहीं किया जाएगा।

18. विनिधान : प्राधिकरण अपनी निधियों का विनिधान केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों (जिसके अंतर्गत कोई आरक्षित निधि भी है) में या इस प्राकर के किसी अन्य तरीकों कसे कर सकता है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपकमों द्वारा विनिधान के लिए वित मंत्रालय के विघमान दिषा–निर्देषों के अनुसार उचित समझे जाएं और इसमें विषेषतः सभी सट्टा निवेषों, विषेष रूप से, स्थावर संपदा सम्मिलित नहीं होंगी।

19. बजट :– (1) प्राधिकरण अगले वित वर्ष के लिए प्राधिकरण की अनुमानित आगम और व्यय को दर्षाते हुए एक बजट प्रत्येक वित वर्ष में विहित रूप में ऐसे समय और तरीके ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा और बोर्ड द्वारा इस पर अनुमोदन प्राप्त होने के पष्चात् उसे केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित करेगा।

(2) प्राधिकरण अगले वित वर्ष के लिए अपने बजट को अंतिम रूप देने के समर्थ बनाने को, इसके लिए केन्द्रीय सरकार प्राधिकरण को अधिनियम की धारा 4 घ के अधीन रेल भूमि के उपयोग और उसे सौंपी गई रेल भूमि के विकास के लिए प्राधिकरण द्वारा तैयार
अधिमानतः पूर्व वित वर्ष की प्रथम छमाही के दौरान सूचित करेगी। प्राधिकरण का बजट यघपि, केंन्द्रीय सरकार द्वारा वित पोषण के किसी पूर्वानुमान के साथ तैयार नहीं किया जाएगा।

(3) अगले वित वर्ष के लिए अधिनियम की धारा 4घ की उपधारा (2) के खंड (iii) के अधीन प्राधिकरण चालू वित वर्ष में अविा उसके लागभग मध्य में अपनी स्वयं की परामर्षी, विनिर्माण, प्रबंध सेवाओं और भूमि तथा सम्पत्ति के परिचालन की एक सूची तैयार करेगी।

(4) प्राधिकरण, जहां कहीं आवष्यक हो, उस वित वर्ष के संबध में, जिससे यह संबंधित है, केन्द्रीय सरकार को एक पूरक बजट ऐसी तारीखों से पहले भेजेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निविर्दिष्ट की गई हैं।

20. लेखा और लेख परीक्षा :– (1) प्राधिकरण उचित लेखा–जोखा और अन्य संबंधित अभिलेखों का रख–रखाव करेगा और लेखे का एक वार्षिक विवरण इस प्रकार तैयार करेगा जैसाकि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के साथ विचार–विमर्ष कर केन्द्रीय सरकार द्वारा कथानिर्धारित है।

(2) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा प्राधिकरण के लेखों की लेखा परीक्षा उसके द्वारा यथाविदित अंरतरालों पर की जाएगी और इस प्रकार की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी व्यय याथपेक्षितानुसार प्राधिकरण द्वारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को संदय किया जाएगा।

(3) प्राधिकरण द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा हेतु उचित उपर्युक्त क्रियाविधि तैयार की जाएगी।

21. वार्षिक रिपोर्टः– प्राधिकरण पिछले वित वर्ष के दौरान उकी गतिविधियों का पूरा लेखा–जोखा देते हुए प्रत्येक वित वर्ष के लिए ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी।

22. बोर्ड द्वारा अनुमोदन : लेखा परीखा रिपोर्ट के साथ– साथ नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा यथा सत्यापित वार्षिक रिपोर्ट और लेखों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद इसे प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार इसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखेगी।

अध्याय 8

विविध

23. विनियम बनाना :– प्राधिकरण, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए नए नियमों से संगत नियम बना सकेगा।

24. संयुक्त उघम का गठनः– प्राधिकरण केंन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी विषेष प्रयोजन परियोजना, संयुक्त उघम या अन्य विधिक अन्य अस्तित्व का उनके सभी या किसी कृत्यों के निष्पादन के लिए गठन कर सकेगा।

25. आदेषों का अधिप्रमाणन तथा प्राधिकरण की षक्तियों का प्रत्यायोजन आदि– (1) प्राधिकरण के सभी आदेष, विनिष्चय और अन्य लिखितों को अधिप्रमाणन उपाध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य या इस निमित उसके द्वारा प्राधिकृत प्राधिकरण के किसी अधिकारी के हस्ताक्षर से किया जाएगा।

(2) **प्राधिकरण लिखित में साधारण या विषेष** आदेष द्वारा ऐसी षर्तो और सीमाओं के अधीन, यदि कोई हों, जो आदेष में विनिर्दिष्ट हों सहित प्राधिकरण के किसी सदस्य या किसी अधिकारी को इस अधिनियम के अंतर्गत अपनी षक्तियां (धारा 4झ की उपधारा (1) के अंतर्गत विनियम बनाने की षक्तियों को छोड़कर जैसा कि वह आवष्यक समझे) प्रत्यायोजित कर सकेगा।

26. प्रतिनियुक्ति पर गए अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए विश्राम–गृह और अवकाष गृह :– प्राधिकरण के सभी सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी जो रेलवे से प्रतिनियुक्ति पर हैं, को रेलवे विश्राम–गृहों और अवकाष–गृहों में रहने के लिए रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों के समान ही माना जाएग, जिसके लिए वे अपने वेतन के ग्रेड के अनुसार पात्र होंगे। उनकी कर्तव्यारूढ़ विश्राम–गृह की मांग की सेवारत अन्य कर्तव्यारूढ़ रेलवे अधिकारियों/कर्मचारियों के समान माना जाएगा। विश्राम–गृहों और अवकाष गृहों के लिए देय प्रभार कर्तव्यारूढ़ या छुट्टी पर रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों, यथास्थिति अन्य के समान लागू होंगे।

27. प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले कार्य जिसके अंतर्गत विकास योजनाएं भी हैंः– (1) केंन्द्रीय सरकार के किसी निदेषों के अधीन, प्राधिकरण विकास योजनाएं तैयार करेगा और अंतराष्ट्रीय भवन संहिता या राष्‍ ट्रीय भवन संहिता के अनुसार लेकिन प्राधिकरण, निकाय या तंत्र के किसी अधिकारी के हस्तक्षेप या प्रतिरोध के बिना रेलवे भूमि के विकास के लिए सभी कार्य करेगा।

(2) **प्राधिकरण कारबार** के सिद्वांतों पर आधारित बाजार मांग पर आधारित, रेल भूमि नीचे या ऊपर जिसके अंतर्गत विघमान रेल संरचनाएं या अन्य भूमि के ऊपर आकाषीय क्षेत्र भी हैं, पर सभी प्रकार का वाणिज्यिक विकास कर सकता है।

(3) **प्राधिकरण, केंन्द्रीय** सरकार द्वारा उसे सहवर्ती निधि के साथ आबंटित किसी परियोजना या कार्य निष्पादित कर सकेगा।

(4) बोर्ड द्वारा नियुक्त कोई समिति रेल भूमि के वाणिज्यिक विकास के लिए सभी योजनाओ की समग्र रूप से संवीक्षा करेगी, जिसके अंतर्गत संरक्षा पहलुओं, परिवेष के साथ सौंदर्यीकरण और उपयोगकर्ता सुविधाएं भी हैं।

(5) केंन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण द्वारा रेलवे भूमि के उपयोग के लिए प्रस्तुत माध्यम से अनुमोदन हेतु विचार करेगी। तथापि, जो प्राधिकरण की व्यावसायिक अपेक्षाओं के अनुरूप किन्तु किसी समय–सीमा में रेलवे बोर्ड के उपयुक्त निदेषालयों द्वारा समुचित संवीक्षा के अधीन, अनमोदन के लिए विचार करेगी.

(6) प्राधिकरण, इस अधिनियम की धारा 4घ के उपनियम (2) के खंड (iii) के उपबंधों के अधीन सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य संगठन के लिए प्राधिकरण और सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या संबंधित संगठन के मध्य तय पायी गई ऐसे निबंधनो और षर्तो पर कोई या सेवाएं या किसी भी वर्ग का कार्य या सेवाएं कार्यान्वित कर सकेगा।

(7) इस निमित बनाए गए किसी विनियम के अधीन, इस निमित प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत साधारणः या विषेषतः कोई व्यक्ति जब कभी आवष्यक हो सभी युक्ति युक्त समय पर जब ऐसा करना आवष्यक हो, निम्नलिखित गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिए किसी भी भूमि या किसी परिसर में प्रवेष कर सकेगा, अर्थात्:–

(क) किसी निरीक्षण, सर्वेक्षण, माप, मूल्यांकन या जांच के लिए,
(ख) तलमापी के लिए,
(ग) अवमृदा में खुदाई या बोर के लिए,
(घ) चारदीवारी बना सकेगा और कार्यो की आषयित लाइनों के लिए,
(ड.) निषान लगाकर और खाई खोदकर सतह, चारदीवारी और लाइनें चिह्नित करने के लिए, या
(च) अन्य विहित कार्य या व्यवहार के लिए:

परंन्तु कोई व्यक्ति आवासीय परिसर की चारदीवारी या निकटस्थ प्रांगण या बगीचे में अधिभोगी की सहमति के बिना और ऐसा करने के लिए अपने आषय को लिखित रूप में अधिभोगी को कम से कम चौबीस घंटों का पूर्व–नोटिस दिए बिना प्रवेष नहीं करेगा।

28. प्राधिकरण की कल्याण निधिः– प्राधिकरणण केंन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, आने सभी स्तरों के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन से प्रगामी अनिवार्य कटौती करके कर्मचारियों के हित के लिए कल्याण निधि का गठन कर सकेगा।

29. प्राधिकरण के अन्य निबंधन और षर्तेः— (1) केंन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के अन्य उपबंन्धों पर प्रति कूल प्रभाव डाले बिना, समय—समय पर नीति के प्रष्नों पर, प्राधिकरण को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निष्पादन पर लिखित में ऐसे निदेष दे सकेगी, जो बाध्यकर होंगे।

(2) प्राधिकरण के रिक्त पद जानी रहेंगे और रिक्तता के आधार पर व्यपगत नहीं होंगे जब तक कि उन्हें विनिर्दिष्ट रूप से अभ्यर्पित न कर दिया जाए।

(3) प्राधिकरण, केंन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, उसके द्वारा तैयार की गई तथा अंतिम रूप दी गई वार्षिक जन—षक्ति योजना के निंबधनों में पदों सृजन कर सकेगा।

(4) यदि प्राधिकरण के कारवार के व्यवहार के संबंध में कोई प्रष्न उठता है, तो उसका विनिष्चय प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा, सिवाय उनके, जहां इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए संबद्व नियमों और विनियमों का निर्वचन करना हो, वहां विनिष्चा केंन्द्रीय सरकार द्वारा

रेल भूमि विकास प्राधिकरण

अध्यक्ष
पेदेन (सदस्य इंजी. ⁄ रेलवे बोर्ड)

प्रबंधक (सतर्कता)		मु0 सतर्कता अधि0 (उपमहाप्रबंधक ग्रेड)		उपाध्यक्ष (चयन बोर्ड द्वारा चुने जाएंगे)	प्राधिकरण का सचिव			
सदस्य योजना अवसंरचना और विकास		सदस्य योजना, रेल यातायात समन्वय			सदस्य वित		सदस्य, संपदा और षहारी योजना (स्वतंत्र सदस्य)	
	महाप्रबंधक (अवसंरचना विकास)			महाप्रबंधक (सूचना प्रौघोगिकी और प्रषिक्षण)	महाप्रबंधक (कार्मिक और वित)			
उप महाप्रबंधक (योजना और परियोजना मूल्यांकन)		उप महाप्रबंधक(अवसंरचना विकास)		उप महाप्रबंधक(प्रषा 0 और प्रषि0	उप महाप्रबंधक (कार्मिक)		उप महाप्रबंधक (वित मूल्यांकन)	उप महाप्रबंधक (विधि)
			गोपनीय सहायक					
	प्रबंधक (योजना)		वरि.प्रबंधक(प्रषा. और प्रषि.)	वरि.प्रबंधक(प्रषि. एंव नयाचार)		प्रबंधक (वित)	प्रबंधक (वित)	
			गोपनीय रिर्पोट,लेखन सामग्री, पुस्तकालय और सूचना प्रौधो.सेवाएं	प्रषिक्षण.एंव नयाचार सेवाएं		बजट, लेखा परीक्षा, व्यय, वेतन, निधि षेष और इसका	वितीय मूल्यांकन	

						परिचालन		
			1. वरि. कार्य. अधिकारी			1. लेखा अधिकारी		
सहा. प्रबंधक(परियोजना–1)		सहा. प्रबंधक(परियोजना–2)	1कार्या. सहायक 1 अ.श्रे.लिपिक सह टंकक	1अ.श्रे.लिपिक सह टंकक 1 टीआई	सहायक प्रबंधक(कार्मिक)	2 लेखा सहायक	1 उ.श्रे. लिपिक	सहायक विधि सलाहकार
1 कार्यालय सहायक	1ड्राफ्टसमैन	1 उ.श्रे. लिपिक			1 अ.श्रे.लिपिक सह टंकक 1 उ.श्रे.लिपिक			1 अ.श्रे. लिपिक क एवं टंकक
ड्रॉइंग,डिजाइन,वास्तुकला योजना,भूमि अभिलेख, परामर्ष पंचाट, लागत निर्धारण,विभिन्न स्टेषनों, स्थानों आदि पर यातायात अध्ययन, आदि					भर्ती,नीति,वेतन बिल,दौरा बिल, रेलवे पास			विधिक फार्मो की सेवाएं लेने सहित सभी विधिक मामले

(फा. सं. 2000/एलएमएल/2/46/वॉल्यूम–III)
अशोक गुप्ता, कार्यकारी निदेषक (भूमि और सुविधाएं) (रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2007

सा.का.नि. 5 (अ).– केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 198 के साथ पठित धारा 4ग द्वारा प्रदत षक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभः–

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपाध्यक्ष (चयन और नियुक्ति) नियम, 2007 है।
2. ये राजपत्र में प्रकाषन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. परिभाषाएं: इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) ''अधिनियम'' से भारतीय रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) अभिप्रेत है;
(ख) ''प्राधिकरण'' से अधिनियम के खंड 4ए के अधीन गठित रेल भूमि विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;
(ग) ''केंन्द्रीय सरकार'' से रेल मंत्र्ाालय अभिप्रेत है;
(घ) ''उच्चतर प्रषासनिक ग्रेड'' से भारत सरकार का वेतन ग्रेड 22400–24500 रू0 प्रतिमाह अभिप्रेत है;
(ड.) ''रेलवे बोर्ड'' से भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905 के अंतर्गत गठित रेलवे बोर्ड अभिप्रेत है;
(च) ''सचिव'' से सचिव, रेलवे बोर्ड अभिप्रेत है;
(छ) ''उपाध्यक्ष'' से अधिनियम की धारा 4ए के अंतगर्त प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिप्रेत है।

(ज) "इसमें प्रयुक्त किए गए सभी अन्य षब्द और पद परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं अनके वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में है।

(3) **उपाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए अर्हताएंः** किसी व्यक्ति को उपाध्यक्ष के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक ि कवह निम्नलिखित मानदंड पूरा नहीं करता हो, अर्थात्ः

(क) टैक्नोक्रैट हो जिसे भूमि प्रबंधन, भवन निर्माण और स्थावर संपदा जिसके अंतर्गत वित पोषण भी है, का व्यापक अनुभव हो; और
(ख) जो भारतीय रेल सेवा का इंजीनियर, भारतीय रेल लेखा सेवा और भारतीय रेल यातायात सेवा के अधिकारी हों तथा जिन्हें उपर्युक्त उपनियम (क) के अनुसार प्राप्त हो;और

(ग) जो अपने मूल काडर में उच्चतर प्रषासनिक ग्रेड या उससे ऊपर हो और चयन समिति की बैठक से ठीक पहले पिछले पांच वर्ष की उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्टो के मूल्यांकन में न्यून्तम 22 अंक हों।

(4) चयन प्रकिया (1) उपाध्यक्ष का चयन किसी चयन समिति द्वारा होगा जिसमें

(क) अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड अध्यक्ष;
(ख) सदस्य (इंजीनियरी), रेलवे बोर्ड और रेल भूमि विकास प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष, सदस्य और;
(ग) सदस्य कार्मिक, रेलवे बोर्ड, सदस्य।

(2) चयन समिति अपने समक्ष उपस्थित होने से पहले अंकों के साथ मैरिट तथा उपयुक्तता के मूल्यांकन संबंधी मानदंड तैयार करेगी तदनुसार प्रत्येक पात्र अभ्यर्थी का समिति द्वारा साक्षात्कार के अनुरूप मूल्यांकन करेगी।

(3) चयन समिति के किसी सदस्य को यह जानकारी होन के तथ्काल पष्चात् कि उसका किसी अभ्यर्थी से संबंध है, तो वह इसकी घोषणा करेगा और उस विषेष अभ्यर्थी के संबंध में स्वयं को चयन समिति से अलग कर लेगा।

(4) कोई अभ्यार्थी, उस पद के लिए निरर्हित हो जाएगा, जिसके लिए उसने आवेदन किया है या नियुक्त किया गया है, यदि वहः—
(क) दिवालियि न्याय निर्णात किया जाता है; या
(ख) उसे किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्व दोष ठहराया जाता है जिसमें केंन्द्रीय सरकार की राय में, नैतिक अधमता अंतर्वलित है; या
(ग) षारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है; या
(घ) जिसने ऐसा वितीय या अन्य हित अर्जित किया है जिसमें किसी पद पर उसके कृत्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है; या
(ड.) केंन्द्रीय सरकार के विघमान आचरण नियमों के अनुसार आचरण का दोषी है जिससे उसे किसी पद को धारण करने के लिए अनुपयुक्त बना दिया है।

(5) सचिव, रेलवे बोर्ड चयन समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे और उपाध्यक्ष के पद के चयन और नियुक्ति के लिए अपेक्षित सभी प्रषासनिक कदम के लिए उत्तरदायी होंगी।

(6) रेलवे बोर्ड, प्रथम प्राधिकारी की नियुक्ति, जहां संविधान नियमों के अध्याय 2 के उपबंधों के अनुसार, नाम निर्देषन के जरिए की जाएगी, के मामले के सिवाय, व्यापक प्रचार द्वारा **उपाध्यक्ष के पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा।**

(7) चयन समिति, उपाध्यक्ष के पद के लिए अभ्यर्थी का चयन करने के पष्चात्, उस पद के लिए अगले दो अभ्यार्थियों का योग्यता कम में एक प्रतीक्षा पैनल तैयार करेगी और यह प्रतीक्षा पैनल चयन समिति द्वारा उस पैनल पर हस्ताक्षर करने की तारीख से छह मास की अवधि तक विधिमान्य होगा।

(8) चयन समिति की कार्यवाहियों के कार्यवृत, प्रत्येक पद के लिए योग्यता सूची और अंतिम चयन सूची समिति के सभी व्यक्तियों द्वारा तारीख सहित हस्ताक्षर किए जाएंगे और

5. चयन संबंधी प्रकिया की अविधिमान्यताः— जब तक चयन की योग्यता प्रभावी न हो, चयन प्रकिया की किसी भी त्रुटि से चयन अविधिमान्य नहीं होगा।

6. **नियुक्ति— (1)** सचिव, रेलवे बोर्ड चयन समिति से रिकॉर्ड प्राप्त करने के तत्काल बाद उपाध्यक्ष के पद के एिल चुने गए अभ्यर्थी के नाम का सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए उपाय प्रारंभ करेंगे।

(2) सक्षम प्राधिकारी से उपाध्यक्ष के पद के लिए नाम का अनुमोदन प्रापत करने के पष्चात् केंन्द्रीय सरकार, कार्यभार संभालने की तारीख जो उपनियम (6) के अध्यधीन नियुक्ति पत्र प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन से अधिक नहीं होगी, के बारे में सूचित करते हुए, चुने अभ्यर्थी को तत्काल नियुक्ति पत्र जानी करेगी।

(3) केंन्द्रीय सरकार द्वारा चुने गए अभ्यर्थी की नियुक्ति विनिर्दिष्ट षर्तो और निबंधनों के अनुसार होगी।

(4) प्राधिकरण के किसी रिक्त पद को, जिसे उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए तत्काल भरा जाना अपेक्षित है, को रेलवे बोर्ड द्वारा छह मास की प्रारंभिक अवधि के लिए तदर्थ आधार पर या उस पद पर नियमित रूप से चुना गया पदधारी पद ग्रहण तक इसमें से, जो भी पहले हो, तक भरा जा सकेगा, तथा इस प्रकार तदर्थ नियुक्त पदधारी का उस पद पर कोई दावा नहीं होगा और नियमित रूप से चुने गए उम्मीदवार के कार्यभार ग्रहण करने के दिन से ही पद स्वतः ही रिक्त माना जाएगा।

(5) चुने गए उम्मीदवार द्वारा 30 दिन या उपनियम—(6) के अधीन यथा अनुज्ञात विस्तारित अवधि के भीतर कार्यभार न संभालने की दषा में सचिव, रेलवे बोर्ड पैनल में प्रतीक्षारत अगले व्यक्ति की नियुक्ति के लिए कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(6) रेलवे बोर्ड, चुने गए अभ्यर्थी से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर कारणों को लेखबद्व करते हुए कार्यभार संभालने की अवधि बढ़ा सकता है जो तीन माह की अवधि से अधिक नहीं होगी और यह विस्तार एक बार ही होगा।

(फा. सं. 2000/एलएमएल/2/46/वॉल्यूम–III)
अषोक गुप्ता, कार्यकारी निदेषक (भूमि और सुविधाएं) (रेलवे बोर्ड)

2. परिभाषाएं: जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में–

(क) ''अधिनियम'' से रेल अधिनियम 1989 (1989 का 24) अभिप्रेत है;
(ख) ''प्राधिकरण'' से अधिनियिम के खंड 4ए के अंतर्गत गठित रेल भूमि विकास प्राकिधकरण अभिप्रेत है;
(ग) ''केंन्द्रीय सरकार'' से रेल मंत्रालय अभिप्रेत है;
(घ) ''सदस्य'' से अधिनियम की धारा4(ख) की उपधारा प्राधिकरण के(3) के अधीन योजना,........., अवसंरचना और विकास, योजना रेल यातायात समन्वय और वित के पदों पर सदस्य से अभिप्रेत है;
(ड.) ''रेलवे बोर्ड'' से भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 में रेलवे बोर्ड अभिप्रेत है;
(च) ''सचिव'' से सचिव, रेलवे बोर्ड अभिप्रेत है;
(छ) ''वरिष्ठ प्रषासनिक ग्रेड'' से 18400–22400 रू. प्रतिमाह का भारत सरकार का वेतन ग्रेड अभिप्रेत है;
(ज) ''इसमें प्रयुक्त किए गए सभी अन्य षब्द और पद परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में है।

(3) अर्हता :(क) सदस्य, योजना, अवसंरचना और विकास के पद के लिए, अभ्यर्थी को भारतीय रेल इंजीनियरी सेवा के रेलवे में न्यूनतम बाइस वर्ष के कुल सेवा अनुभव के साथ न्यूनतम वरिष्ठ प्रषासनिक ग्रेड का एक इंजीनियर होना चाहिए और चयन समिति की बैठक से पहले पिछले पांच वर्षो की उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्टो का संचयी मूल्यांकन बाइस अंक से कम न हो तथा विनिर्माण और भवन निर्माण के प्रबंधन विषिष्टतया भूमि प्रबंध तथा भारतीय रेल के वाणिज्यिक विकास का अनुभव होने पर वरीयता दी जायगी। संबद्व क्षेत्र में अन्य कोई अतिरिक्त अर्हता होने पर उन्हें वरीयता दी जाएगी।

(ख) सदस्य, योजना रेल यातायात समन्वय के पद के लिए, अभ्यर्थी को भारतीय रेल यातायात सेवा में रेल में न्यूनतम बाइस वर्ष की कुल सेवा करते हुए वरिष्ठ प्रषासनिक ग्रेड से कम ग्रेड का अधिकारी न हो और चयन समिति की बैठक से पहले पिछले 5 वर्ष की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टो का संचयी मूल्यांकन बाइस अंक से कम न हो और उन्हें रेलों पर विभित्र यातायात और वाणिज्यिक परिचालनों के संबंध में कार्य का अनुभव हो तथा टर्मिनल हैंडलिंग और भूमि विकास में अनुभव होने पर उन्हें वरीयता दी जाएगी।
(ग) सदस्य, वित के पद के लिए, अभ्यर्थी भारतीय रेल लेखा सेवा में रेल में न्यूनतम बाइस वर्ष की कुल सेवा के साथ वरिष्ठ प्रषासनिक ग्रेड से कम ग्रेड का अधिकारी न हो और चयन समिति की बैठक से पहले उनके पिछले 5 वर्ष की वार्षिक गोपनीय

रिपोर्टो का संचयी मूल्यांकन बाइस अंक से कम न हो। निर्मित परिसंपतियों के वितीय पहलुओं तथा संबद्व भूमि प्रबंधन/वाणिज्यिक विकास मामलों के संबंध में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। संबंद्व क्षेत्र में अन्य कोई अतिरिक्त अर्हता होने पर उन्हें वरीयता दी जाएगी।

(घ) प्राधिकरण के साथ संबंद्व क्षेात्र में महाप्रबंधक के रूप में कम से कम चार वर्ष की अवधि

(4) चयन प्रकिया (1) किसी चयन समिति द्वारा सदस्य का चयन होगा, उसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:–

(क) अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, अध्यक्ष के रूप में;
(ख) प्राधिकरण का अध्यक्ष, सदस्य के रूप में;
(ग) सदस्य, यातायात, रेलवे बोर्ड, योजना रेल यातायात समन्वय के चयन के लिए और वित आयुक्त, रेलवे बोर्ड सदस्य वित के चयन के लिए सदस्य के रूप में;
(घ) प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की उपस्थिति होगी।

(2) चयन समिति अपने समक्ष उपस्थित होने वाले प्रत्येक पात्र अभ्यर्थी का, अंकों के साथ योग्यता तथा उपयुक्तता के मूल्यांकन मानदंड तैयार करेगी। तदनुसार, समिति द्वारा साक्षात्कार के द्वारा मूल्यांकन करेगी।

(3) चयन समिति के किसी सदस्य को यह जानकारी होने के तत्काल पष्चात् कि उसका किसी अभ्यर्थी से संबंध है, तो वह इसकी घोषणा करेगा और उस विषेष अभ्यर्थी के संबंध में स्वयं को चयन समिति से अलग कर लेगा।

(4) कोई अभ्यर्थी उस पद के लिए निरर्हित हो जाएगा जिसके लिए उसने आवेदन किया है या उसे नियुक्त किया गया है यदि वह–

(क) दिवालिया न्याय निर्णीत किया जाता है; या
(ख) उसे किसी अपराध के लिए सिद्व दोष ठहराया जाता है, जिसमें केंन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अतर्वलित है; या
(ग) षारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है; या
(घ) जिसने ऐसा वितीय या अन्य हित अर्जित किया है जिसमें किसी पद पर उसके कृत्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की है; या
(ड.) केंन्द्रीय सरकार के वर्तमान आचरण नियमों के अनुसार आचरण का दोषी है, जिससे, वे उसे किसी पद का धारण करने के लिए अनुपयुक्त बना दिया है।

(5) सचिव, रेलवे बोर्ड चयन समिति के सचिव के रूप में कार्य और सदस्य के पद के लिए चयन तथा नियुक्ति के लिए अपेक्षित सभी प्रषासनिक कदमों के लिए उत्तरदायी होंगे।

(6) रेलवे बोर्ड, प्रथम प्राधिकरण के मामले में, जहां नियुक्ति नाम निर्देषन के द्वारा होगी, के सिवाय व्यापक प्रचार द्वारा सदस्य के पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा।

(7) चयन समिति, सदस्य के पद के लिए अभ्यर्थी का चयन करने के पष्चात् पद के लिए अगले दो अभ्यर्थियों का योग्यता क्रम से एक प्रतीक्षा पैनल भी तैयार करेगी. प्रतीक्षा पैनल चयन समिति द्वारा पैनल पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 6 मास की अवधि तक विधिमान्य

(8) **चयन समिति की कार्यवाईयों का कार्यवृत,** प्रत्येक पद की योग्यता क्रम सूची तथा अंतिम चयन सूची पर चयन समिति के सभी व्यक्तियों द्वारा तारीख सहित हस्ताक्षर होंगे और नियुक्ति के लिए आगे के उपाय सचिव, रेलवे बोर्ड द्वारा किए जाएंगे।

5. चयन संबंधी प्रकिया की अविधि मान्यताः– जब तक चयन का योग्यता क्रम प्रभावित न हो, चयन प्रक्रिया में कोई भी त्रुटि से चयन अविधिमान्य नहीं होगा।

6. नियुक्ति–(1) सचिव, रेलवे बोर्ड, चयन समित से रिकार्ड प्राप्त करने के तत्काल पष्चात् सक्षम प्राधिकारी से सदस्य के पद के लिए चयन किए गए अभ्यर्थी के नाम का अनुमोदन के लिए उपाय करेगा।

(2) सक्षम प्राधिकारी सदस्य के पद की नियुक्ति के लिए से नाम का अंतिम अनुमोदन प्राप्त करने के पष्चात् सरकार चयन किए गए अभ्यर्थी को कार्य ग्रहण करने की अवधि की सूचना के संबंध में षीघ्र ही नियुक्ति पत्र जारी करेगी, जो उपनियम (6) की षर्तो के अधीन नियुक्ति पत्र की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन से अधिक नहीं होगा।

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा चुने गए अभ्यर्थी की नियुक्ति नियमों में विनिर्दिष्ट निबंधनों और षर्तो के अनुसार होगी।

(4) प्राधिकरण के किसी रिक्त पद का, जिसे उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए तत्काल भरा जाना अपेक्षित हो, को रेलवे बोर्ड द्वारा 6 मास की प्रारंभिक अवधि के लिए तदर्थ आधार पर या उस पद पर नियमित रूप से चुना गया पदधारी पद ग्रहण करने तक, जो भी पहले हो भरा जा सकेगा तथा ऐसा तदर्थ नियुक्त पदधारी का उस पद पर कोई दावा नहीं होगा और नियमित रूप से चयन किए गए अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने के दिन से ही पद स्वतः रिक्त माना जाएगा।

(5) चुना गया अभ्यर्थी 30 दिन या इस प्रकार विस्तारित अवधि के भीतर, कार्यभार ग्रहण करने की दषा में, उपनियम–(6) के अधीन यथा अनुज्ञात सचिव, रेलवे बोर्ड पैनल में प्रतीक्षारत अगले व्यक्ति की नियुक्ति के लिए कार्यवाही करेगा।

(6) रेलवे बोर्ड, चुने गए अभ्यर्थी से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर, कारणों को लेख बद्व करते हुए कार्यभार ग्रहण अवधि बढ़ा सकेगा, जो तीन मास की अवधि से अधि नहीं होगी और यह विस्तार केवल एक बार ही होगा।

(फा. सं. 2000/एलएमएल/2/46/वॉल्यूम–III)
अषोक गुप्ता, कार्यकारी निदेषक (भूमि और सुविधाएं) (रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2007

सा.का.नि. 7 (अ).– केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 198 के साथ पठित धारा 4ख की उप–धारा(4) द्वारा प्रदत षक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रांरभः–(1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वतंत्र सदस्य (चयन और नियुक्ति) नियम, 2007 है।

2. ये राजापत्र में इनके प्रकाषन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. परिभाषाएं– इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः–

(क) ''अधिनियम'' से रेल अधिनियम, 1989(1989 का 24) अभिप्रेत है;
(ख) ''प्राधिकरण'' से अधिनियम की धारा 4क के अधीन गठित रेल भूमि विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;
(ग) ''केन्द्रीय सरकार'' स रेल मंत्रालय अभिप्रेत है;
(घ) ''स्वतंत्र सदस्य'' से अधिनियम की धारा 4ख (4) के अधीन नियुक्त सदस्य अभिप्रेत है;

(ड.) ''रेलवे बोर्ड'' से भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905 में रेलवे बोर्ड अभिप्रेत है; तथा

(च) ''सचिव'' से सचिव रेलवे बोर्ड अभिप्रेत है।

3. **अर्हता–** स्वतंत्र सदस्य के पद के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित मानदंड पूरे करेगा; **अर्थात :–**

(क) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या किसी विष्वविघालय से एम बी ए या वास्तुका अथवा सिविल इंजीनियरी में डिग्री; और

(ख) नगर/षहरी योजना या भूमि और संपति के प्रबंधन में उनके विधि, इंजीनियरी और प्रबंधन पहलुओ के संबंध में 10 वर्ष का अनुभव; और

(ग) पद के लिए आवेदन करने की तिथि पर 55 वर्ष से अधिक न हो।

4.चयन प्रकियाः– 1. किसी सदस्य का एक चयन किसी समिति द्वारा होगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे; अर्थात्

(क) अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड के रूप में अध्यक्ष;
(ख) प्राधिकरण का अध्यक्ष के रूप में एक सदस्य;
(ग) सदस्य कार्मिक, रेलवे बोर्ड के रूप में एक सदस्य; और
(घ) प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की उपस्थिति में।

2. चयन समिति अपने समक्ष उपस्थित होने वाले प्रत्येक पात्र अभ्यर्थी का अंकों सहित योग्यता और उपयुक्तता के निर्धारित मानदंड तैयार करेगी और तदनुसार समिति द्वारा साक्षात्कार के द्वारा मूल्यांकन करेगी। निर्धारित मानदंड बनाने में चयन समिति अभ्यर्थी की षैक्षिक पृष्ठभूमि तथा संपति विकास में अनुभव पर विषेष ध्यान देगी।

3. सचिव, रेलवे बोर्ड चयन समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे और स्वतंत्र सदस्य के पद पर चयन तथा नियुक्ति के लिए आवष्यक सभी प्रषासनिक कार्यो के लिए उत्तरादयी होंगे।

4. सचिव, रेलवे बोर्ड एक उपयुक्त सार्वजनिक विज्ञापन द्वारा स्वतंत्र सदस्य के पद हेतु आवेदन आंमत्रित करेंगे।

5. चयन समिति के किसी सदस्य को यह जानकारी होने के तत्काल पष्चात् कि उसका किसी अभ्यर्थी से संबंध है, तो वह इसकी घोषणा करेगा और उस विषेष अभ्यर्थी के संबंध में स्वयं को चयन समिति से अलग कर लेगा।

6. कोई अभ्यर्थी, उस पद के लिए निरर्हित हो जाएगा, जिसके लिए उसने आवेदन किया है या नियुक्त किया गया है, यदि वहः–

(क) दिवालिया है; या न्याय निर्णित किया जाता है;

(ख) किसी आपराध के लिए सिद्व दोष ठहराया जाता है, जिसमें केन्द्रीय सरकार की रा में नैतिक अधमता अंर्तवलित है; या
(ग) षारीरिक रूप से या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया हो; या
(घ) ऐसा वितीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है, जिससे किसी पद पर उसके कृत्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है।
(ड.) केंन्द्रीय सरकार के वर्तमान आचरण नियमों के अनुसार आचरण जो उसे किसी पद को धारण करने के लिए अनुपयुक्त बना दिया है।

7. चयन समिति स्वतंत्र सदस्य के पद के लिए अभ्यर्थी का चयन करने के पष्चात् पद के लिए योग्यता क्रम में अगले तीन अभ्यर्थियों का प्रतीक्षा पैनल तैयार करेगी। प्रतीक्षा पैनल चयन समिति द्वारा पैनल पर हस्ताक्षर करने की तारीख से छः मास की अवधि के लिए विधिमान्य होगा।

8. चयन समिति की कार्यवाहियों का कार्यवृत, पद के लिए योग्यता क्रम सूची और अंतिम चयन, सूची, चयन, समिति के सभी व्यक्तियों द्वार तारीख सहित हस्ताक्षर की जाएगी और नियुक्ति के लिए आगे के उपाय सचिव, रेलवे बोर्ड द्वारा किए जाएंगे।

5. **चयन संबंधी प्रक्रिया की अविधिमान्यताः–** जब तक चयन की योग्यता क्रम प्रभावित न हो, चयन प्रक्रिया में कोई त्रुटि से चयन अविधिमान्य नहीं होगा।

6. **नियुक्ति –(1)** सचिव, रेलवे के लिए चयन किए गए अभ्यर्थी के नाम का अनुमोदन के लिए उपाय करेगा।

(2) स्वतंत्र सदस्य के पद के संबंध में नियुक्ति के लिए नाम का अंतिम अनुमोदन प्राप्त होने पर, रेल मंत्राालय चयन किए गए अभ्यर्थी को कार्य ग्रहण करने की अवधि की सूचना के संबंध में तत्काल नियुक्ति पत्र जारी करेगा, जो इस नियम के उपनियम (5) के अधीन उसको नियुक्ति पत्र प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन से अधिक नहीं होगी।

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति, रेल भूमि विकास प्राधिकरण (सेवा के निबंधन और षर्ते के आधार पर होगी, इसके अतिरिक्त कि चयनित अभ्यर्थी की प्राधिकरण के साथ सेवा जारी रहेगी जो परिवीक्षा के बाद पुष्टिकरण की तिथि से दो वर्ष की सेवा पूरी होने पर रेल मंत्रालय द्वारा निष्पादन पुनर्विलोकन के अध्यधीन होगी।

(4) चुना गया अभ्यर्थी तीन दिन या उपनियम (5) के अधीन यथा अनुज्ञात विस्तारित अवधि, के भीतर कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहने की दषा में सचिव, रेलवे बोर्ड पैनल पर प्रतीक्षारत अगले व्यक्ति की नियुक्ति के लिए कार्यवाही प्रांरभ करेगा।

(5) रेलवे बोर्ड चुने गए अभ्यर्थी के लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर, कारणों को लेखबद्व करते हुए कार्य ग्रहण करने की अवधि बढ़ा सकेगा, जो तीन मास की अवधि से अधिक नहीं होगी और यह विस्तार केवल एक बार ही होगा।

(फा. सं. 2000/एलएमएल/2/46 वॉल्यूम–III)
अषोक गुप्ता, कार्यकारी निदेषक (भूमि और सुविधाएं) (रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2007

सा.का.नि. 8(अ).– केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 198 के साथ पठित धारा 4ख (3) और (4), धारा 4ग, धारा 4छ(2) और 4छ(1) के अधीन प्रदत षक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल भूमि विकास प्राधिकरण (सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते, सेवा के निबंधन और षर्ते) नियम, 2007 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाषन की तारीख को प्रवृत होंगे।

(क) ''अधिनियम'' से रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) अभिप्रेत है;

(ख) ''नियुक्ति व्यक्ति'' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे प्राधिकरण की ओर से नियुक्ति का प्रस्ताव दिया गया है या नियुक्त किया गया है;–

(ग) ''प्राधिकरण'' से अधिनियम की धारा 4क के अधीन गठित रेल भूमि विकास प्राधिकरण, अभिप्रेत है;

(घ) ''बोर्ड'' से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों सहित प्राधिकरण का कार्याकरी बोर्ड अभिप्रेत है;
(ड.) ''केंन्द्रीय सरकार'' से रेल मंत्रालय अभिप्रेत है;

(च) ''कर्मचारियों का वर्गीकरण'' से रेल भूमि विकास प्राधिकरण (गठन) नियम, 2007 के अध्याय–6 के नियम 12 (1) में उल्लिखित स्तरों के अनुसार स्तर–I से III, क–1 के रूप में समूहित, स्तर IV से VII क–2 के रूप में समूहित, स्तर VIII के लिए क–3, स्तर IX के लए समूह–ख, स्तर X–क से छ के लिए समूह–ग और स्तर–XI क तथा ख के लिए समूह–घ के रूप में समूहित प्राधिकरण के सभी स्तर अभिप्रेत है;

(छ) ''**कर्मचारी** '' से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो प्राधिकरण द्वारा आउटसोर्स सेवाओं के माध्यम से भिन्न किसी पद पर नियुक्त किया गया है;

(ज) ''**प्रतिनियुक्ति सेवा**'' से उपाध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारिवृंद द्वारा उनके मूल संगठन में उनके द्वारा धारित पद पर धारणाधिकार जारी रखते हुए, नाम निर्देषन या चयन द्वारा प्राधिकरण में किसी पद पर सेवा अभिप्रेत है ;

(झ) **''गैर–प्रतिनियुक्ति सेवा''** से अभिप्रेत है उपाध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारिवृंद ,ारा, जो प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति के पष्चात या दौरान आमेलन के लिए चुने गए हैं या इन नियमों के अधीन निर्धारित प्रस्तावित निबंधन और षर्तो पर बिना किसी प्रतिनियुक्ति के प्राधिकरण में सीधे किसी पद पर कार्यभार चुनते है;

(ञ) **''आउटसोर्स सेवाओं ''** से प्राधिकरण की सभी हसामान्य या अन्य सेवाएं अभिप्रेत हैं, जिन्हें प्राधिकरण अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए व्यावसायिक सिद्वांतों पर व्यक्तियों, अभिकरणों, निगम, गैर–निगमित निकायों या संस्थाओं का ठेके पर देने का विनिष्चय कर सकेगा। ऐसे किनहीं व्यक्तियों या अभिकरणों या निगम या गैर–निगमित निकायों या संस्थाओं की नियुक्ति के निबंधन और षर्ते प्राधिकरण द्वारा विनिर्षिचित की जाएंगी;

(ट) **''वेतनमान''** से प्राधिकरण का (गठन) नियम, 2007 के नियम–12 के उपनियम (1) में प्रत्येक पद के समक्ष उल्लिखित वेतनमान अभिप्रेत है;

(ठ) इन नियमों में प्रयुक्त किए गए षब्द और पद परिभाषित नहीं है लेकिन अधिनियम में परिभाषित है उनके वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में उनके है.

3. अवधिः–(1) प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति सेवा पर आए सभी व्यक्तियों की अवधि प्राधिकरण में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की होगी जिसे केंन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू प्रचलित नियमानुसार पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा या साठ वर्ष की आयु पूरा करने तक, जो भी पहले हो, होगा।

(2) विषेष परिस्थितियों के आधार पर केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन, स्तर–II और III की गैर–प्रतिनियुक्ति सेवा के कर्मचारियों की अवधि को साठ वर्ष की आयु के पष्चात् पैंसठ वर्ष तक विस्तार को अनुज्ञात किया जा सकेगा और स्तर IV से X के कर्मचारियों की अवधि को बासठ वर्ष तक विस्तार को अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(3) प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारी अपने मूल विभाग में प्रत्यावर्तन की मांग कर सकेंगे तथा प्राधिकरण के परामर्ष से केंन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदत किया जा सकेगा। केंन्द्रीय सरकार और प्राधिकरण की राय में कोई मतभेद होने के मामले में केंनद्रीय सरकार का निर्णय ही अंतिम होगा।

(4) प्राधिकरण को, केंन्द्रीय सरकार के परामर्ष से प्रषासनिक अत्ययावष्यकताओं के आधार पर प्रतिनियुक्ति सेवा पर आए किसी भी कर्मचारी को उसके मूल विभाग में प्रत्यावर्तित करने का अधिकार होगा।

4. परिवीक्षा :– प्राधिकरण में सीधे नियुक्त होने वाले सभी नियुक्त व्यक्ति एक वर्ष तक परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे, उसके पष्चात् नियुक्ति प्राधिकारी नियुक्त व्यक्ति की पुष्टि करेगा। परिवीक्षा अवधि के दौरान, कर्मचारी को प्राधिकरण के पूर्ण विवके पर बिना कोई सूचना दिए या बिना कोई कारण बताए सेवान्मुक्त कर देगा। गैर–प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा समाप्त करने के मिामले में, यदि

ऐसे व्यक्तियों की सेवा को उनके सेवा में आने की तारीख के एक वर्ष की समाप्ति पर पुष्टि नहीं की जाती और ऐसे मामले में समूह क–1 कर्मचारियों तथा अन्य समूहों के कर्मचारियों की परिवीक्षा को प्राधिकरण के माध्यम से केंन्द्रीय सरकार छः महीनों के लिए केवल एक बार बढ़ाया जा सकेगा।

5. **त्याग–पत्र :–(1)** प्रतिनियुक्ति सेवा के सभी कर्मचारी जो केंन्द्रीय सरकार की सेवा से त्याग पत्र देना चहते हैं, वे प्राधिकरण से अपने मूल विभाग में प्रत्यावर्तन करने के पष्चात् ऐसा कर सकेंगे। इस संबंध में मूल विभाग का निर्णय ही अंतिम होगा। तथापि, यह उन कर्मचारियों को लागू नहीं होगा जो प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित पद पर आमेलन का विकल्प देते हैं, प्राधिकरण मे किसी स्थायी पद पर आमेलन की प्रक्रिया का अवधारण विनियमों में किया जाएगा।

(2) किसी स्थायी पद पर गैर–प्रतिनियुक्ति सेवा वाले सभी स्थायी कर्मचारी प्राधिकरण में अपने पद से त्याग–पत्र दे सकते हैं लेकिन इसके लिए उन्हें विनियमों के अधीन बनाए जाने वाले उपबंधें के अनुसार तीन माह की समचना देनी होगी।

6. **वेतन :–(1)** वह सभी जो प्रतिनियुक्ति सेवा पर रेल भूमि विकास प्राधिकरण (संघटन) नियम, 2007 के नियम–12 में प्रत्येक पद के समक्ष अीिकथित वेतनमान के अनुसार वेतन के हकदार होंगे और चयन समिति द्वारा, पदधारी के चयन के सिमय की गिई सिफारिष और उनके नियुक्ति पत्र में अभिकथित वेतन के हकदा होंगे।

(2) वे सभी जो गैर–प्रतिनियुक्ति सेवा पर प्राधिकरण में पद ग्रहण करते हैं, वे यथास्थिति, प्राधिकरण के साथ की गई संविदा या उनके नियुक्ति पत्र में किए गए उल्लेख के अनुसार वेतनमान और वेतन के हकदार होंगे।

7. **वेतन का नियतन :–** प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति सेवा पर चयन किए गए किसी भी व्यक्ति को उसके द्वारा अपने मूल सरकारी विभाग में प्राप्त वेतन से कम वेतन नहीं दिया जाएगा और उसके वेतन का नियतन केंन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू नियमानुसार होगा।

8. **वेतन :– 1.** इन नियमों के प्रयोजन के लिए, जब तक कि अन्यथा इन नियमों में विषेष रूप से कथित न हो, मासिक वेतन के अंतर्गत मूल वेतन, मंहगाई वेतन तथा दूसरे अन्य सभी भत्ते, जिसके लिए पद का धारक हकदार है, भी है।

2. वेतन केंन्द्रीय सरकार के प्रचलित नियमानुसार भविष्य निधि, ग्रुप सेविंग लिंक्ड इंष्यूरेंस स्कीम (जी एस एल आई एस) तथा अन्य वैधानिक कटौतियां के अधीन होगा और इन मासिक कटौतियों का लेखा तथा उनका निपटान केंन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा।

3. विनियमों में किए उल्लेख के अनुसार वेतन से रेल भूमि विकास प्राधिकरण कल्याण निधि में अंषदान हेतु कटौती भी की जाएगी, जिसका लेखा और प्रचालन प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।

4. सभी अग्रिम केंन्द्रीय सरकार के प्रचालित नियमों के अनुसार चुकौती की क्षमता पर आधारित होंगे।

5. जब तक प्राधिकरण का औपचारिक रूप से गठन नहीं हो जाता, इसकी स्थापना के प्रारंभिक चरणों में प्रतिनियुक्ति सेवा के कर्मचारियों को वेतन और अन्य भतों का संवितरण रेल मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

9. वरिष्ठता और प्रोन्नति :– कर्मचारियों की वरिष्ठता और प्रोन्नति अधिनियम के अनुसार प्राधिकरण द्वारा बनाए जाने वाले विनियमों में निहित अनुसार होगी।

10. भत्तेः–(1) रेल भूमि विकास प्राधिकरण (संघटन) नियम, 2007 के नियम 12 में उल्लिखित सभी स्तर इसमें उल्लिखित षर्तो के अनुसार निम्नलिखित भत्तों के पात्र होंगेः

(क) रेल मंत्रालय के सभी प्रतिनियुक्त व्यक्ति अपने मूल वेतन के पांच प्रतिषत के प्रतिनियुक्ति भते, जो कि अधिकतम 500 रू. होगा, के पात्र होंगे, यदि प्रतिनियुक्ति उसी स्थान पर होगी जहां वे रेलवे में सेवा कर रहे हैं, या उनके मूल वेतन का इस प्रतिषत जो कि अिधिकतम 1000 रू. होगा, यदि उनकी प्रतिनियुक्ति किसी अन्य स्थान पर होती है, के अधीन होगी। इसमें यह निबंधन भी होगा कि ''वेतन तथा प्रतिनियुक्ति भत्ता'' संवर्ग बाह्य पद के वेतनमान के अधिकतम से ज्यादा न हों।

(ख) अन्य संगठनों के प्रतिनियुक्त कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति पर भेजने वाले संगठन और प्राधिकरण के बीच प्रतिनियुक्ति की सम्मत षर्तो के अनुसार भते प्रदान किए जाएंगे।

(ग) मंहगाई भता/अतिरिक्त मंहगाई भता/तदर्थ मंहगाई भता केंन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के तद्समान वेतनमान के अनुसार प्रदान किया जाएगा।

2. प्राधिकरण के सभी पुष्ट एवं स्थायी कर्मचारी, जिसके अंतर्गत प्रतिनियुक्त व्यक्ति भी हैं, जिन्हें सरकारी आवास नहीं दिया गया है, वे केंन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू भारत सरकार के अनुदेषों के अनुसार तथा उनके तैनाती के स्थान और षहरों के वर्गीकरण के अनुसार एक समान रूप से मकान किराया भत्ते के हकदार होंगे।

मकान किराया भत्ता की दरें इस प्रकार होंगीः–

पदनाम और वेतन		**संदेय मकान किराया भत्ता की दर(षहरों का वर्गीकरण)**			
सभी के लिए एक समान रूप से	ए–1	ए/बी–1बी–2	सी	अवर्गीकृत	टिप्पणी
	30%	15%	7.5%	5%	मूल वेतन के 50 के बराबर मूल वेतन तथा

					मंहगाई वेतन का

11. आवास :–(1) प्राधिकरण सीधे रेल मंत्रालय के अधीन कार्य करेगा, जब तक प्राधिकरण अपने क्वार्टरों का निम्रण नहीं कर लेता तब तक प्राधिकरण के लिए भी रेलवे क्वार्टरों में रहने हेतु रेल कर्मियों पर लागू नियम ही लागू होंगे।

(2) प्राधिकरण में प्रतिनियुक्त सेवा पर कर्मचारी जिनके पास रेल आवास नहीं है, वे अपने तैनाती के स्थान पर संबंधित रेल प्रषासन से रेल आवास प्राप्त करने के पात्र होंगे। इस प्रयोजन के लिए दिल्ली में तैनाती के लिए रेलवे बोर्ड तथा अन्य स्थानों पर संबंधित मंडल या क्षेत्रीय रेलवे मुख्यालय रेल प्रषासन होगा।

(3) प्राधिकरण अपने कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए रेल भूमि पर स्टाफ क्वार्टर बना सकता है या खरीद सकता है या पूर्व निर्मित पलैटों को पट्टों पर ले सकेगा।

(4) समूह क–1 से ख को मकान किराया भत्ता के बदले पट्टे की सुविधा का विकल्प होगा. जहां रेल या प्राधिकरण की अपनी आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां इन समूहों के कर्मचारी असुसज्जित पट्टाधारित आवास के लिए नीचे दर्षाई गई मासिक किराया सीमा के अध्यधीन तृतीय पक्षकार या स्वयं पट्टे पर लिए गए आवासीय मकान के पट्टे की सुविधा का उपयोग कर सकते हैं :

क. विभिन्न स्थानों या नगरों के लिए मासिक किराया सीमा निम्न होगी :

मसिक किराया सीमा(नगरों की श्रेणी) रूपयों में				
स्तर	क–1	क/ख–1/ख–2	वर्गीकृत	अवर्गीकृतब
II और III	20,000	''''	''''	''''
IV	13,500	8,500	6,000	5,000
V और VI	12,000	7,500	5,250	4,500
VII	11,000	7,000	5,000	4,000
VIII	9,000	6,000	4,000	3,500
IX	8,000	5,000	3,500	3,000

ख.पट्टाधारित आवास मुहैया कराने के लिए किराए की वसूली नीचे दी गई दारों के अनुसार की जाएगीः–

स्तर	किराया वसूली की दर
II और III	800 रू. प्रतिमाह
IV	500 रू. प्रतिमाह
V और VI	400 रू. प्रतिमाह
VII	300 रू. प्रतिमाह
VIII	250 रू. प्रतिमाह
IX	200 रू. प्रतिमाह

ग. तृतीय पक्षकार, पट्टे पर या स्वयं के पट्टे पर आवास लेने के लिए कर्मचारी निम्नलिखित भुगतान या व्यय की प्रतिपूर्ति के पात्र होंगेः

(i) यदि आवास की व्यवस्था दलाल के माध्यम से की जाती है तो दलाली प्रभार जो कि एक मास की किराया सीमा से अधिक नहीं होगा, सीधे दलाल को संदाय किया जाएगा। स्वयं के पट्टे के मामले में इस प्रकार के प्रभारों का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(ii) मरम्मत और अनुरक्षण दो मास के किराए के बराबर या हकदारी के अनुसार, जो भी कम हो, प्रतिवर्ष होगा।

(iii) तीन मास के किराए के बराबर अग्रिम जमानत जमा (ब्याज मुक्त) सीधे गृह स्वामी को संदाय की जाएगी, जो कि पट्टा समाप्ति के प्च्चात् प्राधिकरण को वापस की जाएगी। स्वयं के पट्टे के मामले में इन प्रभारों का संदाय नहीं किया जाएगा।

12. चिकित्सा भत्ताः– (1) प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति सेवा के कर्मचारियों को यह विकल्प दिया जाएगा िकवे अपने मूल विभाग की रेलवे स्वास्थ्य योजना या केंन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना या अन्य कोई चिकित्सा योजना को जारी रख सकेगें।

(2) प्राधिकरण में गैर–प्रतिनियुक्ति सेवा के कर्मचारी तथा प्रतिनियुक्त कर्मचारी जो अपने मूल विभाग द्वारा दी जा री चिकित्सा सुविधाओं को जारी नहीं रखना चाहते, वे विनियमों के अधीन निर्धारित चिकित्सा लाभ के पात्र होंगे। जब तक विनियम नहीं बनाए जाते, तब तक प्राधिकरण, कर्मचारी या उसके परिवार के किसी आश्रित सदस्य की बीमारी पर किए गए चिकित्सा व्यय की नीचे तालिका में दर्षाई गई मासिक राषि की सीमा के अनुसार प्रतिपूर्ति करता रहेगाः–

स्तर	पात्रता प्रतिमाह रूपए में
IV	1958
V और VI	1658
VII	1302
VIII	1146

IX	967
X	746
XI	667

(3) अस्पताल में अंतरंग इलाज के लिए, मुख्य षल्य चिकित्सा, गंभीर बीमारी और इस प्रकार की बीमारी पर उक्त सीमा से अधिक किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति कर्मचारी को उपाध्यक्ष के अनुमोदन से की जाएगी।

13.परिवार नियोजन भत्त ाः– सभी कर्मचारी जिन्होंने या तो स्वयं या उनके पति या पत्नी ने कोई भी परिवार नियोजन प्रक्रिया को अपनाया है, वे निम्नलिखित के लिए हकदार होंगे, परन्तु, पुरूष कर्मचारियों द्वारा यह प्रक्रिया 50 वर्ष पूरा करने से पहले और महिला कर्मचारियों द्वारा 45 वर्ष प्राप्त करने से पहले अपनाई गई हो।

क. नीचे दर्षाए गए अनुसार एकमुष्त नकद प्रोत्साहन, परन्तु यह प्रक्रिया अपनाई गई हो त बवह प्राधिकरण की सेवा में होः–

कर्मचारियों के जीवित बच्चे			
षुल्य किया	**तीन से कम**	**तीन**	**तीन से अधिक**
	रू.	**रू.**	**रू.**
टूयूबेकटॉमी	400	200	100
वैस्कटॉमी	200	150	100
आई यू सी डी इन्सर्षन	25	15	10

ख. निजी वेतन के रूप, में विषेष वेतन वृद्वि, जिसे भावी वेतन वृद्वियों में आमेलित नहीं किया जाएगा. निजी वेतन की राषि विघमान केंन्द्रीय सरकार के नियमानुसार होगी।

14.बाल षिक्षा भत्ता :–(1) प्रत्येक स्थायी कर्मचारियों के षारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम बालकों को छोड़कर, केंन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ षासित क्षेत्र प्रषासन द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ने वाले अधिकतम दो बच्चों के लिए कक्षा I से XII के लिए षिक्षा भत्ते के हकदार होंगे।

परन्तु बालक एक कक्षा में दो से अधिक षैक्षणिक वर्षो तक न रहा हो और कर्मचारी ने, सरकारी या गैर–सरकारी छात्रवृति जिसके लिए उसका बालक हकदार है, के स्थान पर प्राधिकरण के षिक्षा भत्ते का विकल्प दिया हो।

(2) उपखंड(i) के उपबंधों के अध्यधीन, कर्मचारी निम्नलिखित की वास्तविक लागत की प्रतिपूर्ति का पात्र होगाः–

क. षिक्षा षुल्क, श्रेणी I से X के लिए 40 रू. प्रति माह प्रति बालक और श्रेणी XI से XII के लिए 50 रू. प्रतिमाह प्रति बालक तथा 100 रू. प्रति माह प्रति षारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग बालक।

ख. विज्ञान या कंप्यूटर षुल्क, अधिकतम 10 रू. प्रति माह प्रति बालक, यदि विषेष रूप से षिक्षा षुल्क के अतिरिक्त इसका भुगतान किया जाता है।

ग. छात्रावास रियायत अधिकतम 300 रू. प्रति माह प्रति बालक यदि कर्मचारी का स्थानांतरण होने के कारण अपने बालक को ऐसे छात्रावास या आवासीय विघालय में रखना पढ़ता है, जो उसकी तैनाती के स्थान या निवास स्थान से दूर है।

घ. षैक्षणिक सहायता अधिकतम 100 रू. प्रति माह प्रति बालक और 200 रू. प्रति माह प्रति षारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग बालक, जब कर्मचारी को मजबूरी में अपने बालक को ऐसे स्कूल में भेजना पड़ता है जो कि उसके तैनाती के स्थान या उसके निवास स्थान से दूर है या उस जगह कोई अच्छे स्तर का स्कूल नहीं है।

15. **वाहन भत्ता:–** सभी कर्मचारी निम्नलिखित षर्तो के आधार पर नीचे दर्षाए गए अनुसार स्व–प्रमाणीकरण आधार पर परिवहन भत्ते के बदले स्थायी वाहन भत्ते का विकल्प चुन सकते हैं:

(क) वह स्टाफ कार पूल सुविधा का उपयोग न कर रहा हो।

(ख) वाहन का स्वामित्व और अनुरक्षण प्राधिकरण के हित में कार्य के आधार पर किया जाना अपेक्षित है और सरकारी डूयूटी के कुषल और प्रभावी निर्वहन में ऐसा किया जाना उपयोगी होना चाहिए।

(ग) वाहन उस कर्मचारी के स्वामित्व में तथा उसके नाम रजिस्ट्री होना चाहिए जिसके पास ऐसे रजिस्ट्री वाहन को चलाने का नियमित और वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो।

(घ) कर्मचारी को प्राधिकरण के कारबार पर बार–बार यात्राा करना अपेक्षित है तथा सामान्य डूयूटी घंटों के बाद भी सरकारी कार्य करने अपेक्षित हैं, जिसके लिए कोई यातायात या अतिरिक्त क्षतिपूर्ति अनुज्ञेय नहीं है। लेकिन वाहन व्यय की क्षतिपूर्ति छुट्टी वाले दिन कार्यालय आने के लिए प्रदान की जाएगी।

(ड.) जो कर्मचारी वाहन भत्ते का हकदार होगा, वह अपने मुख्यालय जहां पर वह तैनात है, के आठ किलोमीटर की सीमा के भीतर सरकारी यात्राा के लिए अपने वाहन का प्रयोग करेगा तथा इसके लिए उसे कोई स्थानीय यात्राा भत्ता नहीं दिया जाएगा. तथापि, आठ किलोमीटर से दूर की यात्रा के लिए प्रतिपूर्ति केंन्द्रीय सरकार के प्रचलित नियमानुसार की जाएगी।

(च) वह, किसी बाह्य स्थान पर जाते समया या वापिस आते समय रेलवे स्टेषन, एयर पोर्ट या बस स्टैंड पर आने–जाने के अलावा सरकारी वाहन सुविधा का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा।

(छ) कर्मचारी जब मुख्यालय या तैनाती के स्थान से छुट्टी, दौरे या अस्थायी स्थानांतरण या अन्य कारण से अनुपस्थित है या जहां वाहन का सरकारी उपयोग नहीं हो रहा है तथा जिस कारण किसी कैलेंडर माह में 15 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए जिसे चालू अवस्था में नहीं रखा जा रहा है तो वाहन भत्ता केवल आनुपातिक आधार पर दिया जाएगा।

(ज) वाहन–भत्ते की दर इस प्रकार होगीः–

साधन	वेतनमान–श्रेणी	'ए' वर्ग और ऊपर के नगर	'ए' वर्ग से नीचे के नगर
कार के रख–रखाव के लिए	10000–15200 रू. और अधिक	1250/–रू. प्रतिमाह	1120/–रू. प्रतिमाह
स्कूटर के रख–रखाव के लिए	(क) 8000–13500 रू.	500 रू. प्रतिमाह	420 रू. प्रतिमाह
	(ख) 5500–9000 रू.	420 रू. प्रतिमाह	350 रू. प्रतिमाह
मोपेड के रख–रखाव के लिए	3050–4500 रू.	350 रू. प्रतिमाह	–

(झ) वह कर्मचारी जो वाहन भत्ते का विकल्प नहीं चुनते, उन्हें प्राधिकरण के सरकारी कार्य के लिए वास्तविक आधार पर नियम 26 के उप–नियम (2) के खंड (क) के अनुसार जिस वाहन के वे पात्र हैं उसके अनुसार वाहन प्रभार दिया जाएगा।

(ञ) सभी कर्मचारी वाहन भत्ते के स्थान पर केंन्द्रीय सरकार के नियमानुसार यातायात भत्ते का विकल्प चुन सकते हैं।

16. **नगर प्रतिपूरक भत्ताः–** सभी कर्मचारियों को षहरों में उनकी तैनाती के स्थान, जिनका वर्गीकरण भारत सरकार के निर्देषानुसार किया गया है, के आधार पर नगर प्रतिपूरक भत्ता दिया जाएगा। भत्ते की दरें इस प्रकार हैंः–

प्रतिमाह मूल वेतन	**नगर**			
	क 1	क	ख–1	ख–2
3000 से नीचे	90	65	45	25
रू.3000 से रू. 4499	125	95	65	35
रू.4500 से रू.5999	200	150	100	65
रू.6000 और उससे ऊपर	300	240	180	120

17. समाचार पत्र, पत्रिका भत्ता :– यह भत्ता राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय विकास से पदधारियों के ज्ञान को अघतन करने के उद्देष्य से देय होगा, जिसके लिए वे उपयुक्त सामाचार पत्र या पत्रिका मंगाने के पात्र होंगे तथा निन्नानुसार मासिक आधार पर भुगतान के पात्र होंगे।

पदनाम	भत्ते की दर
उपाध्यक्ष/सदस्य	500 रू. प्रतिमाह
महाप्रबंधक	300 रू. प्रतिमाह
उप महाप्रबंधक/वरिष्ठ प्रबंधक या समतुल्य	200 रू. प्रतिमाह
प्रबंधक या समतुल्य	150 रू. प्रतिमाह
स्हायक प्रबंधक या समतुल्य	125 रू. प्रतिमाह
वरिष्ठ कार्यपालक अधिकारी	100 रू. प्रतिमाह

18. धुलाई भत्ताः– 'आउटसोर्स सेवा' के कर्मचारियों को छोड़कर समूह ''घ'' के सभी कर्मचारी ग्रीष्मकालीन तथा षीतकालीन वर्दी तथा 50 रू. प्रति माह धुलाई भत्ते के पात्र होंगे।

19. विषेष भत्ताः– पूर्वोतर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कष्मीर घाटी में स्थानांतरित और तैनात सभी कर्मचारियों को मूल वेतन का 12½ प्रतिषत और अधिकतम **1000** रू. प्रति माह विषेष ड्यूटी भत्ता तथा मूल वेतन का 15 प्रतिषत और अधिकतम **1300** रू.प्रति माह विषेष प्रतिपूरक (दूरस्थ स्थान) भत्ता देय होगा।

20. प्रतिपूर्ति :– (1) प्रतिनियुक्ति और गैर–प्रतिनियुक्ति सेवा के सभी कर्मचारियों को उनकी पात्रता के अनुसार निम्नलिखित के लिए प्रतिपूर्ति की जाएगी :

(क) नाम निर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, निकायों या सोसाइटियों के लिए सदस्यता/अंषदान षुल्क, जो कि रेल मंत्रालय के प्रचलित नियमों के अनुसार होगा।

(ख) आवासीय टेलीफोन :

पदनाम	हकदारी
महाप्रबंधक और उनसे ऊपर के अधिकारी	आई एस डी और ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्षन सहित टेलीफोन की पूर्ण धन वापसी.

उप महाप्रबंधक या समतुल्य	(i) लोकल कॉल और एस टी डी या आई एस डी रहित प्राधिकरण के फोन की धन वापसी. (ii) ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्षन
वरिष्ठ प्रबंधक	(i) किराया तथा लोकल कॉल के लिए 750/–रू. (ii) ब्रॉडबैंड इंटरनेट उपयोग के लिए 500/–रू. प्रतिमाह या वास्तविक खर्च, जो भी कम हो
अन्य	उपाध्यक्ष के अनुमोदन से आवष्यता अनुसार

(2) प्राधिकरण, उपयोग प्रमाण–पत्र के आधार पर अधिकारियों को अपने निवास स्थान पर सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन करने के लिए निम्नलिखित व्यय की प्रतिपूर्ति करेगा :

(क) बिजली प्रभार/इन्वर्टर प्रभार :

(i) महाप्रबंधक और उनसे ऊपर के सभी स्थायी कर्मचारी अपने निवास स्थान पर कार्यालय के लिए वातानुकूलन और इन्वर्टर के हकदार होंगे।

(ii) तथापि, प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, उप महाप्रबंधक स्तर के कर्मचारियों को ऐसे मामलों में जहां उनके निवास स्थान पर प्राधिकरण के कार्य हेतु एक या अधिक मास के लिए कार्यालय स्थापित किया जाना अपेक्षित हो, इस सुविधा की अनुमति दे सकेगा।

(iii) उपयोग प्रमाण–पत्र के आधार पर प्रतिमास बिजली प्रभारों की अधिकतम निम्नलिखित प्रतिपूर्ति की जा सकती है:–

पदनाम	प्रतिपूर्ति पात्रता
उपाध्यक्ष और सदस्य	600 यूनिट प्रतिमास
महाप्रबंधक और उनसे ऊपर के अधिकारी (कार्यपालक बोर्ड स्तर से	400 यूनिट प्रतिमास

नीचे)	
उप महाप्रबंधक केवल उपर्युक्त (क) (ii) के अनुसार मामलों के लिए	300 यूनिट प्रतिमास

(ख) सरकारी मेहमानों की आवभगत :

पदनाम	**प्रतिमास (रूपए में)**	
	निवास पर	**कार्यालय में**
उपाध्यक्ष और सदस्य	1500	उपाध्यक्ष के लिए 50,000 रू. प्रति अवसर और अधिकतम 3 लाख रू. प्रति वर्ष तथा सदस्य के लिए 1.5 लाख रू. प्रतिवर्ष
महाप्रबंधक	900	5000 रू. प्रति अवसर तथा अधिकतम 60,000 रू. प्रतिवर्ष
उप महाप्रबंधक या वरिष्ठ प्रबंधक	600	उपयोग प्रमाण–पत्र के आधार पर 500 रू. प्रतिमास

(ग) जहां निवास स्थान पर बनाए गए कार्यालय में टेलीफोन सुनने वाला या डाक खलासी उपलब्ध नहीं कराया गया है, वहां केयरटेकर पर किए गए व्यय के उद्देष्य से :